न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 53/15 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2015/00056

अनवान्

1. श्री गुमानसिंह पिता मानसिंह चारण निवासी भारोडी तहसील घासा।
2. श्री चन्द्रसिंह पिता जसकरणसिंह चारण निवासी भारोडी तहसील घासा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री प्रतापसिंह पिता रामसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. श्री हिम्मतसिंह पिता रामसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

2/1 श्रीमती अरूणा पत्नी हिम्मतसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

2/2 श्री रवि पिता हिम्मतसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

2/3 हर्षिता पुत्री हिम्मतसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

3. श्री राजेन्द्र सिंह पिता रामसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
4. भवरी पुत्री रामसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
5. पुष्पा पिता रामसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. श्री विनोद पिता रामसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
7. सीमा पिता रामसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
8. मु. उगम कुंवर बेवा रामसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
9. श्री हरिसिंह पिता गोविन्दसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

9/1 श्रीमती बसु उर्फ बसन्ती कुंवर पत्नी हरिसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

9/2 श्री सुनिल पिता हरिसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

9/3 मोनिका पिता हरिसिंह चारण नाबालिग बविलायत माता बसु उर्फ बसन्ती कुंवर पत्नी हरिसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

10. श्री उदयसिंह पिता गोविन्दसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
11. श्री मनोहरसिंह पिता गोविन्दसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
12. श्री रामदयाल पिता गोविन्दसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
13. श्री अचलसिंह पिता गोविन्दसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
14. राधा पुत्री गोविन्दसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
15. गुड्डी पुत्री गोविन्दसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

16. श्री प्रकाश पिता गोविन्दसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
17. श्रीमती सज्जनकुंवर पत्नी गोविन्दसिंह चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
18. श्री ईश्वरदान माता भूरकुंवर चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

18/1 श्री रविसिंह पिता ईश्वरदान चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

18/2 श्री विक्रमसिंह पिता ईश्वरदान चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

18/3 श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी ईश्वरदान चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

19. श्री ईन्द्रदान माता भुरकुंवर चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
20. श्री करणसिंह माता भुरकुंवर चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
21. चन्द्राकुंवर माता भुरकुंवर चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

21/1 श्री भरतसिंह माता चन्द्राकुंवर चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

21/2 श्री राजवीरसिंह माता चन्द्राकुंवर चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

21/3 सुपला पुत्री चन्द्राकुंवर चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

22. कौशल्या माता भुरकुंवर चारण निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।
24. पटवारी, पटवार हल्का वारणी तहसील घासा।
25. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय घासा तहसील घासा।
26. श्रीमती रतनकुंवर पत्नी प्रेमसिंह निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
27. प्रियंका पुत्री प्रेमसिंह निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
28. श्री घनश्याम पिता प्रेमसिंह निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
29. श्री मुकेश पिता प्रेमसिंह निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
30. श्री ज्ञानु पिता प्रेमसिंह निवासी जेसा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी सं. 18/1 से 18/3, 19, 20, 21/1 से 21/3, 22, 26 से 30

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 02.07.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भारोडी पटवार हल्का वारणी तहसील मावली हाल घासू की आराजी नम्बर 06, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 375, 376, 377, 766/367 किता 11 कुल रकबा 23 बीघा 5 बिस्वा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

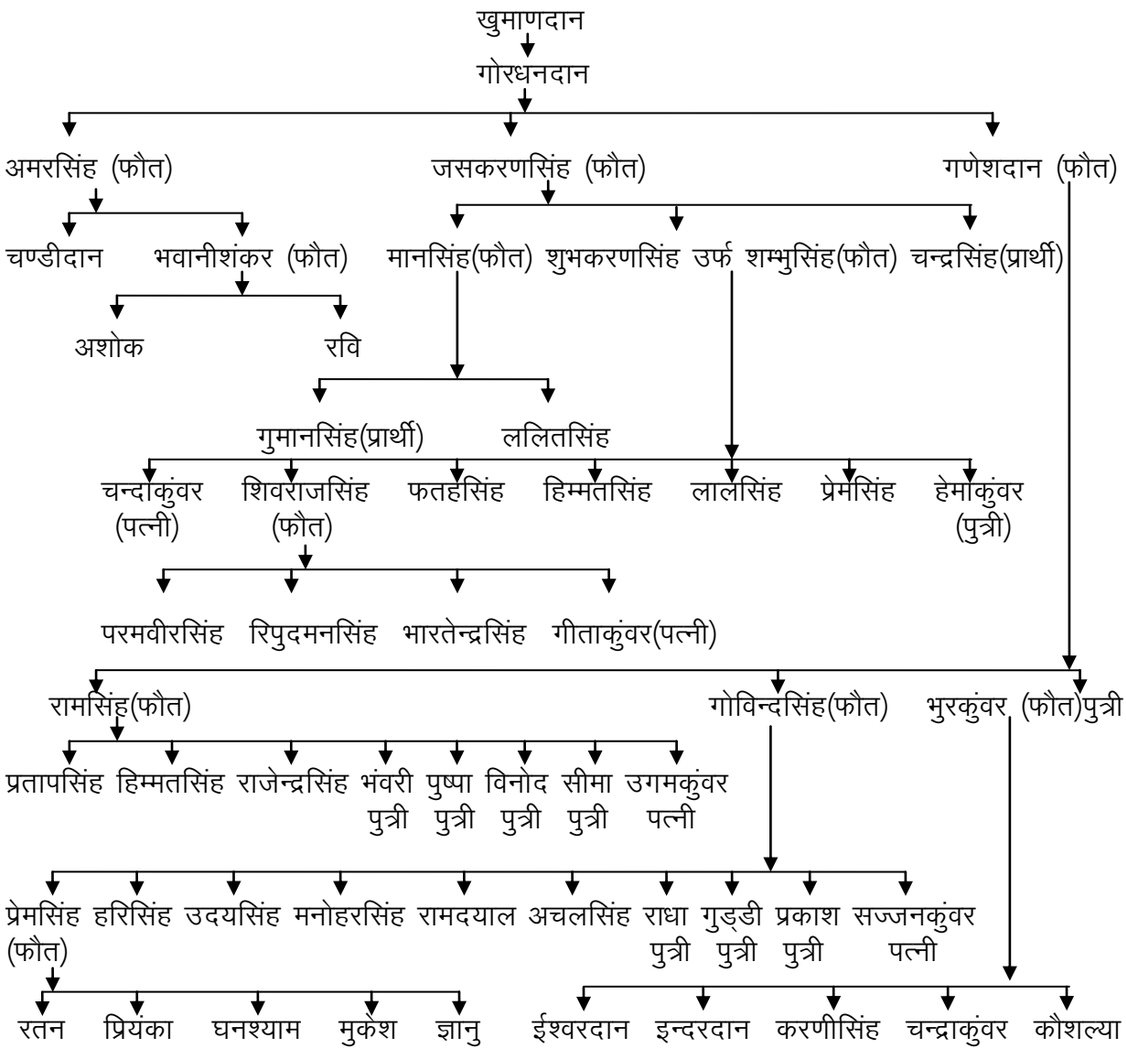

उक्त सजरे में खुमाणदान, गोरधनदान, अमरसिंह, भवानीशंकर, जसकरणसिंह, गणेशदान, रामसिंह, गोविन्दसिंह, भूरकुंवर, मानसिंह, शुभकरण उर्फ शम्भुसिंह, शिवराजसिंह, प्रेमसिंह की मृत्यु हो चुकी हैं। प्रेमसिंह के वारिसान की जानकारी नहीं हैं।

3. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मूल पुरूष गोर्वधनदान जी के तीन पुत्र अमरसिंह, जसकरणसिंह, गणेशदान थे। तीनों पुत्रों को मेवाड एवं बीकानेर स्टेट के समय गोर्वधनदान जी के बडे पुत्र अमरसिंह जी को लुणकरणसर तहसील के जैसा गांव की जमीन जागीर में मिली इसी तरह अपने दूसरे पुत्र जसकरणसिंह को मावली तहसील के भारोडी गांव में स्थित भूमि जो कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात मिली व तीसरे पुत्र गणेशदान को लुणकरणसर तहसील के रतनपुरा (फोबिया) गांव की भूमि में मिली, तब से प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण के मौरूस अपने अपने गांव में आबाद होकर अपने–अपने जागीर में मिली आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे व इनकी मृत्यु के बाद इनके वारिसान काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त लुणकरणसर तहसील में जेसा एवं रतनपुरा गांव पास–पास ही स्थित होकर गणेशदान का परिवार भी जेसा गांव में ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

निवास कर रहा है तथा ग्राम भारोडी की आराजीयात में गणेशदान या अन्य का कभी भी कोई उजर एतराज नहीं रहा हैं।

4. यह कि प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 23 से 33 तक के मौरूस जसकरण सिंह जी को अपनी जागीर में मेवाड रियासत के समय मिले गांव भारोडी की आराजीयात काबिज होकर काश्त कर रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद विरासत से प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 23 से 33 काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 से 22 के मौरूस गणेशदान जी के नाम 1/2 हिस्सा भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गई जो गलत है क्योंकि गणेशदान का उक्त आराजीयात में कभी भी कोई हक अधिकार एवं स्वत्व नहीं है क्योंकि गणेशदान जी जेसा गांव जिला बीकानेर ही रहते थे व जेसा गांव रहते हुए ही रतनपुरा ही जागीर सम्भालते थे तथा वहां की आराजीयात पर काश्त करते थे तथा उनके वारिसान काश्त करते आ रहे है। ग्राम भारोडी की जागीर में न तो गणेशदान जी का हक व अधिकार है न ही कब्जा काश्त रहा हैं और न ही उनके वारिसानों का हक या अधिकार बनता हैं। गणेशदान जी कभी भी ग्राम भारोडी में आकर नहीं रहे और न ही उनके वारिसान ही आकर रहे या आए हैं न ही ग्राम भारोडी की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को जानते हैं।

5. यह कि विपक्षी संख्या 1 से 22 के मौरूस गणेशदान की मृत्यु 1983 में हो गई व गणेशदान जी के जीवनकाल में ही उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 23 से 33 के मौरूस जसकरण सिंह जी का कब्जा था व जसकरणसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 23 से 33 विरासत से काबिज होकर विपक्षी संख्या 1 से 22 की जानकारी में निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक–टोक के काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण तथा प्रतिवादी संख्या 23 से 33 विरासत से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर निर्बाध रूप से लगभग 80 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिससे प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 23 से 33 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 (1) (4) के तहत खातेदार काश्तकार हो गये है प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 23 से 33 का उक्त आराजीयात पर 12 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा होने के कारण भी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये हैं। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में प्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 23 केपिता मानसिंह व प्रार्थी संख्या 2 चन्द्रसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 29 के पिता/पति एवं 30 से 33 के दादा/ससुर शुभकरण उर्फ शम्भुसिंह ने 19.07.1972 मिली आषाढ शुक्ला 9 सम्वत् 2029 को तीनो भाईयों ने मिलकर रिटायर्ड अमीन श्री नूर मोहम्मद निवासी उदयपुर पटवा[illegible]लाज सिंह से कुलिया भूमि का बंटवाडा गवाह वागंरोदी निवासी [illegible] [illegible] पिता सवा गाडरी के सामने कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बंटवाडे नामें की लिखा पढी चोपनिये में कर तीनों भाईयों ने हस्ताक्षर कर गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा रिटायर्ड अमीन नूर मोहम्मद व पटवारी हिंगलाज सिंह ने भी हस्ताक्षर कर दिये। इस तरह प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 23 से 33 के मौरूस जसकरण सिंह का कब्जा था व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 23 से 33 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

6. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 23 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 24 से 33 तक का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है इसी हिस्सेनुसार प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 23 से 33 काबिज होकर अपने–अपने हिस्सेनुसार काश्त करते आ रहे हैं लेकिन उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 22 के मौरूस गणेशदान के नाम राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज होने से वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने से गणेशदान के वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 22 के मन में लोभ एवं लालच की भावना आने से विपक्षी संख्या 1 से 22 उक्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में नाम पर अंकन कराकर हम प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 23 से 33 को बेदखल करने की गरज से खुर्द बुर्द करना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है व विपक्षी संख्या 1 से 22 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना भी आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 1 से 22 प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 23 से 33 को उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात से ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे न ही खुर्द बुर्द करे न ही अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन करने की कार्यवाही करावे न हस्तान्तरण, बैह, बक्षीस करे मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

7. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 23.04.2015 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 से 22 को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 23 से 33 के नाम राजस्व रेकार्ड में खाते कराने हेतु कहा और उन्होने इस बात की कोई तवज्जों नहीं दी व एलानिया धमकी दी कि जमीन हमारे खाते करवाकर उक्त जमीन को हम दिगर व्यक्तियों को विक्रय कर देगें और तुम्हे जमीन से बेदखल कर देगें तब निरन्तर जारी हैं।

8. यह कि प्रतिवादी संख्या 23 से 33 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं चाहने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है व वाद में प्रतिवादी संख्या 23 से 33 आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। अन्त में निवेदन किया कि इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 22 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 23 से 33 के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी पैदा नहीं करे, न ही जमीन के उपयोग उपभोग में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

बाधा उत्पन्न करे, न ही राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर अंकन कराने की कार्यवाही करे, न ही विक्रय बैह बक्षीस से हस्तान्तरण ही करे। मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 23 उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में नामान्तरण नहीं खोले व विपक्षी संख्या 24 नामान्तरण की कार्यवाही नहीं करे, विपक्षी संख्या 25 के समक्ष उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश करे तो पंजीयन नहीं करे। प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 23 से 33 को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे न तो विपक्षी संख्या 1 से 22 उक्त कार्य स्वयं करे न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावे, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 1 से 17 द्वारा जवाब प्रार्थना मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 17 द्वारा उक्त वाद कार्यवाही हेतु संयुक्त रूप से श्री राजेन्द्रसिंह विपक्षी संख्या 3 तथा श्री हरिसिंह विपक्षी संख्या 9 को उचित वाद कार्यवाही में भाग लेने हेतु जरिये मुख्तियार नामा अधिकृत किया गया है। पश्चात्वर्ती क्रम में उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जायेगा। प्रार्थीगण में से श्री चन्द्रसिंह जी द्वारा पूर्व में एक लिखापढी उनके हस्तलेख में दिनांक 30.05.1974 सम्वत् 2031 को जारी की गई जो कि विपक्षीगण उत्तरदाता के पूर्वाधिकारी श्री गणेशदान जी को सम्बोधित थी। उसका पुनः प्रकाशन किया जा रहा है जिसकार सार है कि तद्द्वारा चन्द्रसिंह जी ने गणेशदान जी से उनके मकान मुकाम भारोडी स्थित में निवास हेतु कतिपय कथन अंकित है जिस पर चन्द्रसिंह जी के हस्ताक्षर भी अंकित हैं।

10. यह कि उक्त के साथ–साथ विपक्षीगण की ओर से उपाप्त की गई राजस्व ग्राम भारोडी की सम्वत् 2019 से 2022 की जमाबन्दी नकल भी वादग्रस्त जायदाद को बराबर–बराबर हक से दर्ज किया गया है अर्थात् भूमि शामलाती रही है और गणेशदान वल्द गोरधनदान जी का 1/2 हक व हिस्सा रहा हैं। जिनके कि उत्तरदाता विपक्षी संख्या 1 से 8 गणेशदान जी के पुत्र रामसिंह जी के वारिस है तथा विपक्षी संख्या 9 से 22 गणेशदान जी के पुत्र गोविन्दसिंह जी के वारिसान है, जिसमें से प्रेमसिंह जी की मृत्यु हो चुकी है उनके विधिक वारिसान उनकी एक पत्नी श्रीमती रतनकुंवर पुत्री श्री प्रियंका व तीन पुत्र क्रमशः घनश्याम, मुकेश व ज्ञानु है, जिन्हे उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से संयोजित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र यथावत संधारण योग्य नहीं हैं।

11. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र के अधीन की [illegible] साबिक आराजी नम्बर 5 रकबा 37 बीघा 1 बिस्वा तथा साबिक आराजी नम्बर 76 रकबा 142 बीघा 10 बिस्वा भूमि किता 2 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 179 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज थी। यहां पर उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रयुक्त जरीब 152 1/2 फीट थी बाद में जाकर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मावली तहसील में 132 फीट की जरीब काम में ली गई। इस कारण साबिक रकबे 179 बीघा 11 बिस्वा भूमि गणनात्मक रूप से नई जरीब 239 बीघा 5 बिस्वा उचित दर्ज की गई। श्री गणेशदान जी का स्वर्गवास सन् 1983 में हो जाने से उनके वारिसान में उनके दो पुत्र व एक पुत्री हुए और गणेशदान जी तथा वाद के पक्षकार सभी हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है और हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1955 की धारा 6 के प्रभाव से वादग्रस्त जायदाद मौरूसी होने से विपक्षी संख्या 1 से 8 के पूर्वाधिकारी श्री रामसिंह जी तथा विपक्षी संख्या 9 से 17 (तथा प्रेमसिंह जी के वारिसान एक ईकाई में) के पूर्वाधिकारी श्री गोविन्दसिंह जी दोनो ही 4/18–4/18 हक व हिस्से के तथा उनके पुत्री भूर कुंवर 1/18 हक व हिस्से की वारिस हुई तद्नुसार उत्तरदाता विपक्षीगण का हिस्सा संगणित किया जाकर तद्नुसार उत्तरदाता बंटवाडा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

12. उक्त के बाद उत्तरदाता विपक्षीगण 1 से 8 तथा 9 से 17 की ओर से जवाब है कि कथित सजरा परिवार सही अंकित है लेकिन उसमें प्रेमसिंह जी के वारिसान को नहीं दर्शाया गया हैं। उस अनुरूप दुरूस्त सजरा पेश करवाया जावे, जिसका उल्लेख उत्तरदाता की ओर से पूर्व में किया गया हैं। गोवर्धनदान जी के तीनों पुत्रों अमरसिंह, जसकरण सिंह व गणेशदान जी में से अमरसिंह जी जैसा गांव की जमीन उन्हे प्राप्त हुई लेकिन यह कहना गलत है कि दूसरे पुत्र जसकरणसिंह को मावली तहसील की वादग्रस्त भूमि जागीरी में प्राप्त हुई हो, जिसका खण्डन उत्तरदाता की ओर से उपाप्त राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम भारोडी की नकल खाता सम्वत् 2019 से 2022 से पूर्णतः हो जाता है। इस कारण प्रार्थीगण का यह कहना कि जसकरणसिंह को भारोडी गांव की जमीन मिली हो, सर्वथा गलत है। शेष कथन बाबत् गणेशदान जी प्रार्थीगण साबित करावें। यहां पर उल्लेखनीय है कि उल्लेखित अनुसार अपने–अपने गांव में काबिज होने बाबत् कथन सर्वथा गलत हैं। उत्तरदाता की पुश्तैनी जायदाद बशामलात प्रार्थीगण व ललितसिंह व शुभकरणसिंह जी के वारिसान के साथ रही जिसमें उत्तरदातागण का संयुक्त रूप से 1/2–1/2 हक व हिस्सा निहित होता है। जहां तक गणेशदान जी के परिवार का जेसा गांव में निवास के बारे में कथन है उसके बारे में लेख है कि रामसिंह जी की शिक्षा–दीक्षा रेलमगरा में ही हुई है और सरकारी नौकरी में होने के कारण उनके पुत्र रामसिंह जी जो कि नायब तहसीलदार पद से सेवानिवृत हुए। सेवाकारणों से वह तथा उनके पुत्र व गोविन्दसिंह जी जो कि फौज में थे वह भी सेवा कारणों से जेसा गांव में बस गए। यह एक प्रसंगत मात्र है के आधार पर उत्तरदाता विपक्षीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

निहित हित पुश्तेनी जायदाद से कभी भी समाप्त नहीं हो जाता है। शेष कथन बाबत् भारोडी की जमीन में कोई उजर ऐतराज नहीं होना सर्वथा गलत हैं।

13. यह कि प्रार्थीगण साबित करे कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण 23 से 33 के मौरूस जसकरण सिंह जी को भारोडी स्थित जमीन जागीर में मेवाड रियासत में मिली हो। जहां तक जागीर का प्रश्न है जागीर कभी भी मेवाड माल कानून व कवायद माफी अनुसार विरासत का विषय नहीं रही हैं। जागीर एक राजकीय अनुकम्पात्मक नियुक्ति रही है जो कि मेवाड स्टेट के द्वारा औपचारिक रूप से घोषित की जाती रही है व जागीरदार की मृत्यु पर रियासत की इच्छा पर ज्येष्ठाधिकार के नियम के आधार पर अगले वयस्क पुरूष सन्तान अथवा किसी अन्य को भी नियुक्त किये जाने का प्रावधान रहा है। सो कथित प्रकार से विरासत का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। गणेशदान जी के नाम भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से अंकित नहीं की गई है वरन् उक्त जायदाद मौरूसी होने से विरासत से गणेशदान वल्द गोरधन दास जी को बराबर–बराबर हक से अपने भाई जसकरण जी के बराबर हक प्राप्त हुआ है जो उचित ही अंकित किया गया हैं। जहां तक गणेशदान जी के जेसा गांव में रहने का कथन अंकित है वह सर्वथा गलत है गणेशदान जी भारोडी ही रहे उनके साथ पुत्र रामसिंह जी की शिक्षा–दीक्षा रेलमगरा में ही हुई है और नौकरी पेशे के कारण जेसा गांव में रामसिंह जी के परिवार का निवास रहा है। उससे मौरूसी भूमि में उनके निहित हक व हिस्से बाबत् कोई प्रतिकूल असरकारी प्रभाव नहीं पडता है। इसको चन्द्रसिंह जी के द्वारा लिखे गए पत्र जो कि उनके हस्तलेख में है, उसकी कुलिया इबारत विचारणीय हैं। सारतः जायदाद की संयुक्तता को स्पष्ट रूप से उनके द्वारा स्वीकार किया गया है जो कि एक पूर्ण साक्ष्य दस्तावेज है। सो शेष कथन बाबत् कब्जा सम्पृक्त हो वादग्रस्त जायदाद से किसी प्रकार से सरोकार नहीं रखते है और न ही उनका कोई विधिक प्रभाव नहीं रहता है क्योंकि पारिवारिक पुश्तैनी जायदाद के सदस्यों द्वारा यदि नौकरी पेशा व व्यवसाय के कारण स्थानीय पारिवारिक सदस्यों को देखरेख व सार–सम्भाल के लिए भूमि संभलाकर जाने मात्र से प्रार्थीगण को कथित प्रकार से कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता हैं।

14. यह कि गणेशदान जी की मृत्यु सन् 1983 में हो गई है व इस कारण केवल कब्जे के आधार पर जो अभिवचनात्मक अभिव्यक्ति प्रार्थीगण द्वारा की गई है तद्नुसार प्रार्थीगण को कोई विधिक हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है कारण कि विधि की यह सर्वमान्य एवं सुस्थापित न्याय सिद्वान्त है कि अनुमति से कब्जे में आने पर प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा स्वतः उन्मूलित हो जाती है और प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होती है कारण भूमि गोरधन दान जी के वारिसान में जसकरणसिंह जी व गणेशदान जी को उत्तरोत्तर उनके अवसान पर उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुई जो उचित ही हैं। प्रार्थना पत्र में जिस लिखापढी की बात अंकित की गई है वह जसकरणसिंह जी के वारिसान सर्वश्री मानसिंह जी, चन्द्रसिंह जी व शुभकरण उर्फ शम्भुसिंह जी के मध्य की कोई लिखा पढी और कथित लिखापढी के आधार पर प्रार्थीगण उत्तरदाता विपक्षीगण को उनके वादग्रस्त मौरूसी जायदाद में निहित हित, हक व हिस्से से महरूम करने का आशय रखते है जो कि किसी प्रकार से भी उत्तरदातागण को विबन्धित नहीं करता है। सो कथित लिखापढी उत्तरदातागण के मुकाबले आरम्भतः शून्य प्रभावी हो निरर्थक हैं। कथित प्रकार से यदि वादी तथा विपक्षी संख्या 23 से 33 काश्त कर रहे है तो वह केवलमात्र उत्तरदाता विपक्षीगण संख्या 1 से 22 के न्यासी मात्र है और न्यास धर्म अनुसार अब चुंकि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 23 से 33 उत्तरदातागण के निहित हित हक व हिस्से के प्रतिकूल दावा करने लगे है तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट रूप से उनके मन में व्याप्त दुर्भावना का ही संकेत है और इस कारण जेसे ही कथित दावें की जानकारी हुई तो अब उत्तरदाता विपक्षीगण 1 से 17 अपने तथा शेष विपक्षी संख्या 18 के वारिसान व 19 से 22 की आरे से प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 23 से 33 के विरूद्व प्रतिदावें के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर उन्हे बाद बंटवाडा वादग्रस्त जायदाद उन्हे सिजारे के तौर पर निरन्तर नहीं करना चाहते है और अपने हक व हिस्से की भूमि को अब अपनी अभिरक्षा में लेना चाहते है सो उत्तरदाता विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त जायदाद बाबत् बंटवाडे की डिक्री जारी कर उत्तरदाता विपक्षी संख्या 1 से 22 के हक व हिस्से की भूमि भाग का पृथक्करण करवाया जाकर खाता तद्नुसार जरिये भूमिधारी संधारित करवाया जावें। वादी साबित करे कि 23.04.2015 को उन्हे वाद कारण प्रथम बार उत्पन्न हुआ हो जबकि ऐसा नहीं हैं। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 23 से 33 ने अपने नाम नामान्तरण भी करवाया होगा। क्या तब भी उन्हे खाते की स्थिति का मालुमात नहीं हो पाई। ऐसा प्रार्थीगण ने अपने विधिक सलाहकार की सलाह से अपने मिथ्या दावें को झूठा अवलम्बन प्रदान करने के लिए साशय अंकित किया हैं।

15. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर** निवेदन किया कि प्रार्थीगण के उक्त वाद कार्यवाही की जानकारी होते ही उस वक्त प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त की गई और तद्द्वारा प्रार्थीगण के मन में व्याप्त दुर्भावना की जानकारी दिनांक 23.11.2015 को दावे एवं प्रार्थना पत्र की नकल प्राप्त करने पर कानूनी सलाह करने पर ज्ञात आया कि प्रार्थीगण द्वारा कथित प्रकार से उत्तरदाता विपक्षी संख्या 1 से 17 व 18 से 22 के विरूद्व मिथ्या आधारो पर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है जो कि उत्तरदाता के विस्तृत पूर्विक कथन तथा कलमवार जवाब के प्रकाश में सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं। उक्त के बाद जब उत्तरदातागण को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व घोषणात्मक वाद की जानकारी प्राप्त हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के मन में अब समय काल से बेईमानी व्याप्त हो गई है और अब वे उत्तरदातागण के निहित हक व हिस्से को भी हडपना चाहते है, जिसका कि उन्हे कोई अधिकार नहीं है, काश्त कि पुश्तैनी जायदाद में प्रतिकूल कब्जे जेसी कोई अवधारणा ज्ञात नहीं है सो अब चूंकि उत्तरदातागण के लिए प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 23 से 33 के साथ सम्बन्ध में आये बिखराव के कारण अब उनसे सिजांरे, काश्त निरन्तर नहीं करवाना चाहते है और वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा कराकर व पृथक से खाता व कब्जा कायम कायम करवाकर उत्तरदातागण उनके पक्ष में रखे गये भूमि भाग बाबत्, विरूद्व प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 23 से 33 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक हैं।

16. यह कि उत्तरदातागण को वाद कारण बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जैसे प्रार्थीगण के दावे व प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त हुई तदन्तर दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा हैं। कारण कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 23 से 33 उल्लेखित प्रकार से अपने न्यास धर्म को त्यागकर सिंजारे की हैसियत से बढकर मालिकाना हक चाहते है जो कि विधि द्वारा अनुमत नहीं है सो कथित प्रयास को हतोत्साहित किया जाकर प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 23 से 33 के विरूद्व अस्थायी निषेधज्ञा जारी किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। यहां पर उल्लेखनीय है कि विपक्षी उत्तरदातागण के पूर्वाधिकारी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा उत्तरदातागण उनके विधिक वारिसान हो पुत्र–पुत्रादि है और जैसा कि प्रार्थीगण स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में वारिस होना स्वीकार किया है, इससे प्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र हेतु प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट है जहां तक सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दू है वह भी विपक्षी उत्तरदातागण के पक्ष में होने से ताफैसला दावा विपक्षी उत्तरदातागण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थीगण को पाबंद करवाया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे और न ही ऐसा कोई अवमूल्यनकारी कार्य करे, जिससे वादग्रस्त भूमि की नोईयत में किसी प्रकार का फेरबदल होवें और वादग्रस्त भूमि किसी दायित्व के अधीन आ जावें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे, न ही अपने नौकर, एजेन्ट इत्यादि से करावें।

17. अन्त में निवेदन किया कि उत्तरदाता विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत पूर्विक कथन तथा कमलवार जवाब व प्रति प्रार्थना पत्र के प्रकाश में प्रकरण का सांगोपांग अध्ययन कर उत्तरदाता विपक्षी संख्या 1 से 17 तथा विधिक प्रसंगति स्वरूप 18 के वारिसान तथा विपक्षी संख्या 19 से 22 के पक्ष में निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादर फरमाई जावे कि ग्राम भारोडी की वादग्रस्त भूमि बाबत् ताफैसला दावा प्रार्थीगण को पाबंद करवाया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे और न ही ऐसा कोई अवमूल्यनकारी कार्य करे, जिससे वादग्रस्त भूमि की नोईयत में किसी प्रकार का फेरबदल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

होवे और वादग्रस्त भूमि की नोईयत में किसी प्रकार का फेरबदल होवे और वादग्रस्त भूमि किसी दायित्व के अधीन आ जावे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे, न हीं अपने नौकर, एजेन्ट इत्यादि से करावें।

18. **विपक्षी संख्या 19, 20, 22 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश** कर निवेदन किया कि हम विपक्षीगण भूर कुंवर के जायन्दा वारिस है। गोवर्धनदान जी के तीनो पुत्रों अमरसिंह, जसकरणसिंह व गणेशदान जी में से अमरसिंह जी को जैसा गांव की जमीन उन्हे प्राप्त हुई लेकिन यह कहना गलत है कि दूसरे पुत्र जसकरणसिंह को मावली तहसील की वादग्रस्त भूमि जागीरी में प्राप्त हुई हो, जिसका खण्ड्न अन्य विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न राजस्व ग्राम भारोडी की सम्वत् 2019 से 2022 की जमाबन्दी की नकल से पूर्णतयाः हो रहा है क्योंकि वादग्रस्त जायदादा को बराबर हक से दर्ज किया गया है अर्थात् वादग्रस्त जमीन शामलाती रही है, इस कारण प्रार्थीगण का यह कथन की जसकरण जी को भारोडी गांव की जमीन मिली हो सर्वथा गलत है। प्रार्थीगण स्वयं साबित करावे कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 23 से 33 के मौरूस जसकरण जी को भारोडी गांव में स्थित जमीन जागीर में मेवाड रियासत में मिली हो जहां तक जागीर का प्रश्न है जागीर कभी भी मेवाड माल कानून व कवायद माफी अनुसार विरासत का विषय नहीं रही हैं।

19. यह कि गणेशदान जी के नाम पर भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से अंकित नहीं की गई वरन उक्त भूमि मौरूसी होने से विरासत से गणेशदान वल्द गोवर्धनदान जी को बराबर हक से अपने भाई जसकरण जी के बराबर प्राप्त हुआ है जो पूर्ण रूप से विधि के प्रक्रियाओ के अनुसरण में होकर सही रूप से अंकित हुई है। गणेशदान जी की मृत्यु सन् 1983 में हो गई, इस कारण केवल कब्जे के आधार पर जो हक प्रार्थीगण द्वारा हम विपक्षीगण के संयुक्त आधिपत्य की भूमि में क्लेम किया जा रहा है, उनसे प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है साथ ही विधि का यह सर्वसम्मत् सिद्वान्त है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार मिलना सम्भव नहीं है क्योंकि सहखातेदारी की भूमि में प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। जिस लिखापढी बाबत् कथन प्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे है वह जसकरणसिंह जी के वारिस मानसिंह, चन्द्रसिंह, शुभकरणसिंह के मध्य की कोई लिखापढी है ऐसी तथाकथित लिखापढी आपस में दुरर्भिसंधि करके तैयार की गई है, ऐसी तथाकथित लिखापढी के आधार पर प्रार्थीगण हम विपक्षीगण को हमारी मौरूसी जायदाद में निहित हक हिस्से से महरूम करना चाहते है, जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है ऐसी तथाकथित लिखापढी विपक्षीगण के मुकाबले प्रारम्भतः शून्य व बेअसर हैं। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 23 से 33 मिल कर आपस में दुरर्भिसंधि कर हम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण को हमारे जायज हक व अधिकारों से महरूम रखना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा हम विपक्षीगण के विरूद्व जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं।

20. यह कि दिनांक 23.04.2015 को अथवा अन्य किसी दिनांक को कोई वाद कारण एवं प्रार्थना पत्र कारण हम विपक्षीगण के विरूद्व उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थीगण द्वारा मात्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उद्‌देश्य से गलत प्रार्थना पत्र कारण अंकित किया हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावें।

21. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 17, 19, 20, 22 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

22. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 22, 26 से 30 के मौरूस गणेशदान एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 से 22, 23 से 30 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 22, 26 से 30 के मौरूस वादग्रस्त भूमि के खातेदार है। न्यायालय का मानना है कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात पर जसकरणसिंह के समय से मेवाड़ रियासत जागीर भरोड़ी गांव में काबिज होकर काश्त कर रहे थे। उक्त आराजी में विपक्षी संख्या 1 से 22 के मौरूस गणेशदान जी जिनका 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अंकित है, जिसका कभी उक्त आराजी पर न तो खेती की और ना ही कभी यहां आए, साथ ही वो आजादी से पूर्व ही जैसा गांव बिकानेर में रहते थे एवं वहां की जागीर रतनपुरा सम्भालते थे। वही काश्त करते थे और वही निवासरत थे। अतः प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा एव ना ही वह निवासरत है। कुछ विपक्षी संख्या द्वारा जरिये मुख्यतयारनामा निवेदन किया कि [illegible] वादग्रस्त भूमि पर हमार कब्जा हमारा नही है एवं वादीगण एवं उनके परिवारजन ही [illegible] उपभोग कर रहे है। न्यायालय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

विनम्र अभिमत है कि वादवर्णित आराजीयात में विपक्षीगण राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित है परन्तु विपक्षीगण आजादी से पूर्व ही बीकानेर के जैसा गांव में निवासरत है। वर्तमान में उक्त भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण कर रहे है। मौके पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नही हो एवं वाद की बाहुल्यता नही बढे। इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 22, 26 से 30 के मौरूस के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 22, 26 से 30 मौरूस के नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित अथवा मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित किया जाता हैं।

3. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है और यदि विपक्षीगण प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में असुविधा होगी। न्यायालय का मानना है कि पूर्व में भी उक्त भूमि के सम्बन्ध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। जिसे लगभग 10 वर्ष हो गए है। ऐसे में वाद का निस्तारण करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। तो मौके पर विवाद बढेगा। जिससे अनावश्यक मुकद्धमेबाजी बढेगी। प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

23. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम भारोडी पटवार हल्का जावड तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 06, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 375, 376, 377, 766/367 किता 11 कुल रकबा 239 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 22, 26 से 30 के मौरूस गणेशदान एवं अन्य सहखातेदार के नाम के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 से 22, 26 से 30 के मौरूस गणेशदान के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में प्रार्थीगण द्वारा घोषणा चाही गई है। वाद वर्णित आराजीयात पर जसकरणसिंह के समय से मेवाड़ रियासत जागीर भरोड़ी गांव में काबिज होकर काश्त कर रहे थे। उक्त आराजी में विपक्षी संख्या 1 से 22 के मौरूस गणेशदान जी जिनका 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अंकित है, जिसका कभी उक्त आराजी पर न तो खेती की और ना ही कभी यहां आए, साथ ही वो आजादी से पूर्व ही जैसा गांव बिकानेर में रहते थे एवं वहां की जागीर रतनपुरा सम्भालते थे। वही काश्त करते थे और वही निवासरत थे। अतः प्रतिवादीगण का [illegible] भूमि पर कभी कब्जा नही रहा एव ना ही वह निवासरत है। कुछ विपक्षी संख्या द्वारा [illegible] मुख्त्यारनामा निवेदन किया कि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि पर हमार कब्जा हमारा नही है एवं वादीगण एवं उनके परिवारजन ही उपयोग उपभोग कर रहे है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादवर्णित आराजीयात में विपक्षीगण राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित है परन्तु विपक्षीगण आजादी से पूर्व ही बीकानेर के जैसा गांव में निवासरत है। वर्तमान में उक्त भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण कर रहे है। मौके पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नही हो एवं वाद की बाहुल्यता नही बढे। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर देते है या वाद पत्र के निस्तारण से पूर्व विपक्षीगण बाहुबल से किसी विशेष भू–भाग पर कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य कर लेते है या प्रार्थीगण को बेदखल कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय का मानना है कि प्रकरण मे पूर्व से भी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये है। इसलिए मौके पर विवाद नही हो तथा अनावश्यक मुकद्धमेबाजी नही हो इसलिए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखा जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा विपक्षीगण का काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप विपक्षीगण का काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि भारोडी पटवार हल्का जावड तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 06, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 375, 376, 377, 766/367 किता 11 कुल रकबा 239 बीघा 5 बिस्वा भूमि में खातेदार गणेशदान पिता गोवर्धनदान चारण के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested